MP/MLAs की कर–विवरणी जन–साधारण के लिए क्यों प्रस्तुत यिका जाना चाहिए :

हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए विधान सभा सदस्यों एवं सांसदों की बढ़ती धन–सम्पत्ती के कारणवश यह अत्यावश्यक है कि सभी सदस्यों की कर–विवरणी को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

सांसदों की हाल ही में बढ़ी परिसम्पत्ती कुछ उचंकड़े दर्शाती है जो कि एकतरे एवं संदेहजनक हैं। इनमें से कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में अपनी परिसम्पत्ति को एक हजार गुना से भी अधिक बढ़ाया है। साथ ही साथ, राजनैतिक दलों की इस तरह से बढ़ती धन–दौलत की क्या बुनियाद है, यह कोई नहीं जानता।

ADR & NEW द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2004 से 2009 के बीच लोक सभा सांसदों की परिसम्पत्ती में औसत बढ़ोतरी 289 प्रतिशत है अर्थात पाँच वर्ष के भीतर प्रत्येक सांसद की परिसम्पत्ती में रु0 2.9 करोड़ का इजाफ़ा हुआ। राज्य सभा के सांसदो को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 16 में से 14 प्रत्याशी करोड़पती है यानि 88% , इसके बाद कांग्रेस पार्टी जिसके 15 में से 12 प्रत्याशी करोड़पति हैं।यहाँ पर हितों की मतभिन्नता (टक्कर) का भी मुद्दा है 58% प्रतिशत राज्य सभा सांसद करोड़पती है जो की इसके साथ–साथ समृद्ध आवसायिक क्रिया, लाभकारी तानाशाही, मीडिया में हिस्सेदारी, मूलभूत सुविधाएं, संवेतन परामर्श कार्य, एवं अन्य कार्यों में भी शामिल होते हैं।

पाँच राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के विश्लेषण के दौरान, विधायकों की सम्पत्ती में महत्वपूर्ण इजाफे का परिणाम सामने आया है।

राज्य	2007 में औसत परिसम्पत्ती	2012 में औसत परिसम्पत्ती	प्रतिशत
गोआ	2.91 करोड़	7.65 करोड़	163%
पंजाब	5.73 करोड़	9.17 करोड़	60%
उत्तर प्रदेश	98.05 लाख	3.10 करोड़	217%
उत्तरांचल	83 लाख	2 करोड़	177%
मणीपुर	20 लाख	1 करोड़	412%

सामान्यतः किसी भी राष्ट्र के राजनैतिक आचरण इस राष्ट्र के जनसाधारण पर प्रभाव डालते हैं। राजनैतिक दल एवं नेताओं के दागी किरदार जनता में गहरी चिंता का विषय बन गए हैं। सभी सांसदों एवं विधायकों को इस कारणवश मूलभूत रूप से अपनी कर विवरणी जनता के लिए जारी करनी चाहिए ताकि बढ़ते भ्रष्टाचार को रोका जा सके। **साथ ही सांसदों की कर विवरणी को लेकर ऐसी पारदर्शिता, देश के नागरिको ंके बीच विश्वास जगाने और बनाए रखने में मदद करेगी और साथ ही सांसदों की दबावदेही में भी लाभकारी सिद्ध होगी।**

राजनैतिक दलों के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण, ADR ने जन सूचना अधिकार के तहत सांसदों की कर विवरणी माँगने हेतु आयकर कमिश्नर के जनसूचना अधिकारी (PIO) कार्यालय में याचिका दर्ज की। लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी देने से ADR को मना कर दिया गया। अतः ADR ने पहली अपील और फिर दूसरी अपील दर्ज करवाई। यह अपील अगले 17 महीनो तक केन्द्रीय सूचना आयोग में अनिर्णीत रूप में रखी रही और 8–11–12 को सौंप दी गई। विकसित देशों जैसे अमेरिका और इंग्लैण्ड में सांसदों की कर–विवरणी स्वेच्छापूर्वक स्पष्ट की जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कर–विवरणी ऑन्लाइन उपलब्ध है। अन्य सभी नागरिकों की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति को भी गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन फिर भी वे स्वैच्छिक रूप से अपनी कर विवरणी जनता के लिए जारी करते हैं। बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और अन्य के कर–विवरणी ऑनलाइन उपलब्ध है एवं सार्वजनिक परीक्षण के लिए खुली है। इस तरह की पारदर्शिता सराहनीय है। भारतीय सांसदों को भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से नागरीकों का अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास मजबूत हो सकेगा।

नागरिकों का अपने प्रतिनिधियों के विषय में जानना आवश्यक है ताकि वह एक सूचित निर्णय ले सके। **इसके अतिरिक्त यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करेगा इससे जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच विश्वास में वृद्धि होगी। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के विषय में जानने का पूरा अधिकार है। प्रतिनिधियों के विषय में जानकारी उपलब्ध ना होने पर नागरिकों के बेहतर सरकार बनाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होगी।**